

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(11) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 21/2/83

Notification  
Income-tax

No. 5902 (F.No.203/128/84-ITA.II): In continuation of this office Notification No.4593 (F.No.203/32/82-ITA.II) dated 30-4-82, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:-

- i) That the Institute for Financial Management & Research, Madras will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

Institution

Institute for Financial Management and Research, Madras.

This notification is effective for a period from 1-4-1984 to 31-3-1986.

*Girish Dave*

(Girish Dave)

Under Secretary to the Government of India

Malik/

भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3(11) में प्रकाशनाय

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21-7-84

अधिसूचना

[आयकर]

सं० 5902 [फा० सं० 203/128/84-आ० सं० नि० ] : इस कार्यालय की दिनांक 30-4-82 की अधिसूचना सं० 4593 [फा० सं० 203/32/82-आ० सं० नि० ] के तिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा [1] के खंड [11] के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :-

1. यह कि इन्स्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च, मद्रास वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा ।
2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रसंग में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए ।
3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दशाति हुए अपने संवर्धित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दशाति हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च, मद्रास

यह अधिसूचना 1-4-84 से 31-3-86 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

गिरीश दवे

! गिरीश दवे !

अधर सचिव, भारत सरकार